

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/48051/MTH/MATHURA/1268/CFO

दिनांक: 01-08-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **D.S MEMORIAL PUBLIC SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **kharsa 135, 136, NAUJA SONOUTH JANUBI NEAR MANSI DEVI TEMPLE, JAJAN PATTI MATHURA** तहसील - **GOVERDHAN**, प्लॉट एरिया **12732.50 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **2842.34** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
D S MEMORIAL PUBLIC SCHOOL	3	0	10.98 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **D.S MEMORIAL PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **03-08-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MANJEET SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **03-08-2023** से **02-08-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **D.S MEMORIAL PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **D.S MEMORIAL PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : In view of the recommendation report of fso. The NOC is being issued यह प्रमाण पत्र मानचित्र में इंगित भवन के लिए निर्गत किया जा रहा है, शासनादेश सं0-18/छ:-पु0-8-2022/905(34)2016 टी0सी0 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ दिनांक-07-1-2022 के अनुपालन में सेटबैक की अनिवार्यता एवं तदनुसार उपलब्धता के सम्बन्ध में निर्णय सम्बंधित सत्ता प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (बिल्डिंग बायलाज) के अनुसार लिया जायेगा, भवन में अधिस्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील रखने की जिम्मेदारी भवन स्वामी/प्रबन्धक की होगी अन्यथा की स्थिति में यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाये।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(NARENDRA PRATAP SINGH)

[DD6CB06BD3E6F9ABD467DA98CC4D7C67FC311E26]

03-08-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 03-08-2023
स्थान : MATHURA

Manjeet
SECRETARY
D.S. MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
SONOUTH JANUBI, MATHURA